3

7

न्यायालय उपजिलाधिकारी सहजनवां गोरखपुर

वाद संख्या :- T202205310604682

प्लेटिनम एजुकेशनल ट्रस्ट	अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-
बनाम	बाबत मौजा-सेमरा, तप्पा-गांगासाड़ परगना-
सरकार	हसनपुर मगहर तहसील-सहजनवां जिला-गोरखपुर

नकल आदेश उपजिलाधिकारी सहजनवां दिनांक -

07-9-2022 की सारा प्रति तीन वर्क संलग्न है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :गोरखपुर,जनपद :गोरखपुर,तहसील :सहजनवां

वाद संख्या :-4682/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202205310604682

प्लेटिनम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उ.प्र.रा.संहिता-2006 प्लेटिनम एजुकेशनल ट्रस्ट विलन्दपुर दाउदपुर जिला गोरखपुर द्वारा आवेदन-पत्र दिनांक 25.08.2022 पर तहसीलदार सहजनवां की जाँच आख्या दिनांक 01.09.2022 के आधार पर प्रारम्भ हुई है। प्रा0 पत्र नियमानुसार दर्ज किया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि ग्राम-सेमरा, तप्पा- गाहांसाड़, परगना- हसनपुर मगहर तहसील-सहजनवां, जनपद-गोरखपुर के गाटा सं-246/0.401, गाटा सं-247/0.032हे•, गाटा सं-248/0.267हे•, गाटा सं-256/0.845हे•, आवेदक के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज है। उक्त गाटा पर चाहरदीवरी बना है और अब कृषि कार्य नही हो रहा है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि प्रयोजन में न आने के कारण उक्त भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सहजनवा की आख्या दिनांक 01.09.2022 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अन्तर्गत प्लेटिनम एजुकेशनल ट्रस्ट विलन्दपुर दाउदपुर जिला गोरखपुर ने ग्राम-सेमरा, तप्पा- गाहांसाड़, परगना- हंसनपुर मगहर के गाटा सं-246/0.401, गाटा सं-247/0.032हे•, गाटा सं-248/0.267हे•, गाटा सं-256/0.845हे•, में से कुल 0.810हे• धारा 80(2) उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उद्घोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है।

1-धारा-80 उ.प्र.रा.संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार सहजनवा द्वारा प्रेषित आख्या-

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम पिता का नाम व स्थान	खतौनी की खाता संख्या	खाते का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	माल गुजारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे. में	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन के लिए खाता या उसका कोई भाग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सेमरा	प्लेटिनम एजुकेशनल ट्रस्ट विलन्दपुर दाउदपुर जिला गोरखपुर	00104 00105 00013 00143	0.433हे• 0.320हे• 0.303हे• 0.845हे•	9.70 7.90 7.50 25.80	246 247 248 256	0.401हे 0.320हे• 0.267हे• 0.845हे•	0.200हे• 0.212हे• 0.220हे 0.178हे• कुल 0.810हे•	उद्घोषणा शुल्क चालान नं-6 रू. 55,250/- व न्यायालय स्टाम्प शुल्क रू. 55,250/-

2-आवेदक द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3-आवेदक द्वारा आवेदित रकबा 0.810हे• पर आवासीय/ औद्योगिक गितविधियाँ विद्यमान है, जिसका सम्बन्ध कृषि. बागवानी , मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन से नही है।

4-आवेदक का आवेदित रकबा 0.810हे• का सम्बन्ध कृषि, बागवानी मत्स्य पालन , कुक्कुट पालन से नही है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :गोरखपुर,जनपद :गोरखपुर,तहसील :सहजनवां

वाद संख्या :-4682/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202205310604682

प्लेटिनम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

5- उ.प्र.रा.संहिता नियमावली-2016 की धारा-85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्याकंन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट सेमरा के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु चुंकि उक्त भूमि ब्यवसायिक/आवासीय होने के कारण दो प्रतिशत जरिये चालान सं-6 रू.55,250/- व न्यायालय स्टाम्प शुल्क रू. 55,250/- दाखिल किया गया है।

6- चूँकि आवेदक द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है , इसलिए राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22(2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जिरिये चालान/ई-स्टाम्प संबंधित लेखा शीर्षक में जमा किया गया है।

7-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है।, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की मांग नही करेंगा।

8-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के सन्दर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व संबंधी किसी विवाद में आधार नही माना जायेगा।

9-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना नगर पंचायत सहजनवां/गीडा पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा विनियमित क्षेत्र महायोजना जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

10- आवेदित गाटा संख्या में आवेदक के अतिरिक्त सहखातेदार अंकित है।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है ग्राम-सेमरा, तप्पा- गाहांसाड़, परगना- हसनपुर मगहर तहसील-सहजनवां, जनपद-गोरखपुर स्थित उपरोक्त गाटों को कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ.प्र.राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार सहजनवां द्वारा रिपोर्ट अग्रसारित की गई है। तहसीलदार सहजनवां की जाँच आख्या एवं पत्रावली उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक परीक्षण किया गया, जिससे विदित होता है कि आवेदक द्वारा आवेदित गाटा पर चाहरदीवारी बना है। इस प्रकार अन्तर्गत धारा-80(2) उ.प्र.रा. संहिता-2006 के तहत रकबा 0.810हे• पूर्णतया गैरकृषिक घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिये निर्धारित मुल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क दो प्रतिशत जरिये चालान सं-6 रू.55,250/- व न्यायालय स्टाम्प शुल्क रू. 55,250/- दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक भूमि प्रस्तावित किये जाने मे कोई आपत्ति नही है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :गोरखपुर,जनपद :गोरखपुर,तहसील :सहजनवां

वाद संख्या :-4682/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202205310604682

प्लेटिनम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(3)

अतः ग्राम-सेमरा, तप्पा- गाहांसाड़, परगना- हसनपुर मगहर तहसील-सहजनवां, जनपद-गोरखपुर के खतौनी सन् 1424--1429फ खाता सं-00104, 00105, 00013, 00143 प्लेटिनम एजुकेशनल ट्रस्ट विलन्दपुर दाउदपुर जिला गोरखपुर के गाटा सं-246/0.401, गाटा सं-247/0.032हे॰, गाटा सं-248/0.267हे॰, गाटा सं-256/0.845हे॰ में से कुल 0.810हे॰ को उ.प्र.राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 में धारा 80(2) में दी गयी व्यवस्था के अधीन अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। तदनूसार अभिलेखों में अमलदरामद हो । आदेश की एक प्रति उपनिबंधक सहजनवां को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए । वाद अमलदरामद पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक:- 07-9-22

(सुरेश राय)
उपजिलाधिकारी सहजनवा
गोरखपुर

श्री जितेन्द्र बाल्कगुप्त ... 485 07.9.2022 7200 1350 08.9-2022 08.9-2022

08/9/22